अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2018 (RCMS 2018/00184) श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री विश्वनाथ किराडू, कोठारी अस्पताल के सामने वाली गली, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, उपअभिलेखागार, सूरतगढ/अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, उपअभिलेखागार, सूरतगढ/अनूपगढ से सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.09.2018 को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में आवेदन किया था, जो सम्बन्धित को दिनांक 20.09.2018 को प्राप्त हो गया था। अपने आवेदन पत्र द्वारा अपीलार्थी ने सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी को अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (जिला अभिलेखागार), उपअभिलेखागार, सूरतगढ/अनूपगढ़ से वांछित सूचना दिलवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दनारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2018 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/उपअभिलेखागार सूरतगढ/अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 2 केएलडी के मुरब्बा नं. 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेशदास पुत्र द्वारकादास व्यास ब्राह्मण के नाम से आवंटन है, आवंटन आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत है कृपया उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली की छांयाप्रत सुपाठ्य कवर सहित सुसंगत उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।
2. चक 2 केएलडी के मुरब्बा नं. 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेशदास पुत्र द्वारकादास व्यास ब्राह्मण के नाम से खातेदारी सनद की छांयाप्रति प्रस्तुत है, कृपया उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली की छांयाप्रत सुपाठ्य कवर सहित सुसगत उपलबध कराने की व्यवस्था फरमावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.आ/गंगा/2018/51—55 दिनांक 13.09.2018 से जिला अभिलेखागार, बीकानेर एवं उपअभिलेखागार, अनूपगढ/सूरतगढ को लिखते हुए प्रार्थी को भी निम्नानुसर जवाब दिया है :

क्र.सं.	प्राप्त विवरण	प्रति उत्तर
1	चक 2 केएलडी के मुरब्बा नं. 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेशदास पुत्र द्वारकादास व्यास के नाम से आवंटन है, उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली की छांयाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।	आवंटन आदेश 09.02.84 चक 2 केएलडी के मु.नं. 16/28 किला नं. 1 ता 25, आवंटी गणेशदास पुत्र द्वारकादास व्यास की मूल आवंटन पत्रावली इस अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। उक्त आवंटन आदेश आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त राज. नहर परियोजना बीकानेर द्वारा जारी है, जिसकी आवंटन पत्रावली उप अभिलेखागार अनूपगढ/सूरतगढ /जिला अभिलेखागार, बीकानेर में जमा हो सकती है, वहा से सूचना प्राप्त करें।
2	चक 2 केएलडी के मुरब्बा नं. 16/28 किला नं. 1 ता 25 श्री गणेशदास पुत्र द्वारकादास व्यास ब्राह्मण के नाम से खातेदारी सनद है, कृपया सम्पूर्ण पत्रावली की छायाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।	इस कार्यालय से जारी सनद सं. 45155 दिनांक 29.08.1992 के सम्बन्ध में खातेदारी सनद तहसील कार्यालय से एक प्रति सनद प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती थी, प्राप्त रिकॉर्डानुसार पत्रां **सनद प्रस्ताव विवरण वर्ष 1992—93 दिनांक 19.07.2006 का रिकॉर्ड नियमानुसार तलफ किया जा चुका है।** फोटो प्रति संलग्न है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिस पर प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने **उक्त अपील पत्र के** संदर्भ में अपने पत्रांक रिकॉर्ड/170 दिनांक 22.10.18 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र से चक 2 केएलडी का प.नं. 16/28 का 25 बीघा कृषि भूमि गणेशदास पुत्र द्वारकादास द्वारा आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया गया है। आपके द्वारा वर्णित आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का रिकॉर्ड इस अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया जाता है। सूचनार्थ प्रेषित है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> सूरतगढ

इसीप्रकार उपजिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, उप अभिलेखागार, अनूपगढ ने भी अपने पत्रांक स.का.अधिकार/19/50 दिनांक 12.04.2019 स प्रार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अनवान आवंटी गणेशदास पुत्र द्वारकादास जाति ब्राह्मण साकिन बीकानेर को आवंटित रकबा चक 2 केएलडी के पत्थन नं. 16/28 आवंटन दिनांक 14.05.1974 व 01.02.1984 की आवंटन पत्रावली बरूए रिकॉर्ड तलाश करने पर इस उप अभिलेखागार में जमा होनी नहीं पाई जाती है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त रिकॉर्ड के सम्बन्ध में तहसीलदार (राजस्व), रावला द्वारा भी सूचना के अधिकार के तहत रिकॉर्ड चाहा गया था जिसके क्रम इस कार्यालय के पत्रांक सू.का.अधि./19/21 दिनांक 21.02.2019 से सूचित कर दिया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की चित्रप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया दाखिल दफ्तर फरमावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उपजिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
उप अभिलेखागार, अनूपगढ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से जिला अभिलेखागार/उपअभिलेखागार, सूरतगढ/अनूपगढ द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, रावला को निर्देशित किया जाता है कि यदि वांछित अभिलेख उसके पास उपलब्ध हो तो प्रार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावे। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर/उपअभिलेखागार, सूरतगढ/अनूपगढ, तहसीलदार (राजस्व), रावला को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर